संख्या– 839 /38–7–2008– 208एनआरईजीए/08

प्रेषक,

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 02 अप्रैल, 2008

विषयः–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर कय के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत(MIS) को कियाशील किये जाने हेतु प्रदेश के सभी विकास खण्डों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य अविलम्ब पूर्ण किया जाना है। इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित निम्नाकित समिति को योजनान्तर्गत कम्प्यूटर कय हेतु अधिकृत किया गया है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कम्प्यूटरीकरण हेतु उत्ताा बेहतरीन क्वालिटी के कम्प्यूटरों का कय के सम्बंध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रनिक्स विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–08/78–आई0टी0–2–2001 दिनांकः 12–09–2001, संख्या–785 /78– 2– 2004 –25आई0टी0/2001 दिनांकः 25–08–2004 तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों तथा स्टोर परचेज नियमों के अधीन किये जाने एवं कम्प्यूटर कय में शासकीय एजेन्सियों को ही प्राथमिकता दिये जाने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त शासनादेशों में विहित व्यवस्थानुसार कम्प्यूटर कय हेतु जनपद स्तर पर समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगाः–

(1)	जिलाधिकारी–	अध्यक्ष।
(2)	मुख्य विकास अधिकारी–	सदस्य।
(3)	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी–	सदस्य।
(4)	कोषाधिकारी(संबंधित जनपद)–	सदस्य।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण तथा कम्प्यूटर कय की कार्यवाही निम्नलिखित निर्देशों/शर्तों एवं प्रतिबन्धो के अधीन की जायेगीः–

(1) उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्ष 2008 में 574 विकास खण्डों को SWAN से कनेक्ट किया जा रहा है, जिस पर किसी प्रकार की धनराशि व्यय नहीं की जायेगी तथा SWAN

परियोजना से अनाच्छादित जिला/तहसील मुख्यालय स्थित 246 विकास खण्डों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी बी0एस0एन0एल0 एवं अन्य सर्विस प्रोवाइडरों के माध्यम से कम्पीटीटिव निविदाएं प्राप्त कर की जायें ताकि अन्य प्रमुख प्रदाता भी अपनी दरें तथा सेवा के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

(2) कम्प्यूटर क्रय हेतु खुली निविदा की पारदर्शी व्यवस्था अपनायी जायेगी। निविदा आमंत्रित करते हुए दो भागों में विभक्त होगी:–

I- टेक्निकल बिड।

II- फाइनेन्सियल बिड।

यह दोनों अलग–अलग लिफाफे से प्राप्त की जायेंगी। टेक्निकल बिड खुलने के बाद तकनीकी रूप से सक्षम पायी गयी निविदाओं की फाइनेन्सियल बिड खोली जायेगी। फाइनेन्सियल बिड खोलने के बाद किसी भी निविदादाता के साथ कोई निगोसिएशन नहीं किया जायेगा।

(3) कम्प्यूटर क्रय करने हेतु निविदा दिनांक: 20 अप्रैल, 2008 तक प्राप्त कर कर लिया जाय तथा चयनित निविदा कम्पनी को दिनांक: 15 मई, 2008 तक कम्प्यूटर स्थापित करने की अन्तिम समय सीमा निर्धारित कर दी जाय।

(4) कम्प्यूटर क्रय के मामले में पूरे प्रदेश में एकरूपता स्थापित करने हेतु एक ही "कन्फीग्रेशन"/प्लेटफार्म तथा "आपरेटरिंग सिस्टम" और साफ्टवेयर का क्रय किया जायेगा।

(5) एनआरईजीए के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण हेतु क्रय किये जाने वाले कम्प्यूटर उपकरणों की गुण निर्दिष्टियॉ निम्नवत निर्धारित की गयी है:–

क सं0	मद	गुण निर्दिष्टियॉ(Specifications)
1	Computer	Desktop Intel core 2 Duo E6400 or higher processor, 1 GB DDR 2 RAM 667 MHZ, 160 GB SATA II HDD, 17" TFT monitor 48X/24X/48X/CDRW+16X DVD-R COMBO Drive Integrated PCI] 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet, 104 Keys OEM Keyboard, Preloaded win XP Professional with contificate of authenticity & media Preloaded Antivirus software valid for Intel Core 2 DUO, Intel Processor 2.33 GHz, 1333 MHZ FSB, 1 GB DDR-2 RAM 667 MHZ, Intel Q 965 or higher chipset, 6 USB Ports, Itegrated PCI slots, 10/100/1000 gegabit Ethernet, 160 GB SATA- II HDD
2	Laser	Laser Printer (A4, 18 ppm, 8 mb, 1200x1200dpi)

	Printer	
3	U.P.S.	700 VA UPS (LI pure Sine Wave) with 30 minutes backup on Full Load.
4	Generator	5 KVA

(6) प्रत्येक विकास खण्ड में निर्दिष्ट गुण निर्दिष्टियों के अनुसार दो–दो कम्प्यूटर स्थापित किया जाना है परन्तु जिन विकास खण्डों में गत चार वर्षों में कम्प्यूटर क्रय किये गये हैं, वहां उपलब्ध कम्प्यूटरों की संख्या को कम करते हुए नये कम्प्यूटर क्रय किये जायेंगे। कम्प्यूटर तथा अन्य सामग्री की संख्या निम्नवत होगीः–

I- कम्प्यूटर– 02(दो नग)

II- लेजर प्रिन्टर– 02(दो नग)

III- यू0पी0एस0– 02(दो नग)

IV- एम0एस0आफिस प्रोफेशनल2007– 01(एक नग)

V- 8 पार्ट 10/100 एमबीपीएस स्विच– 01(एक नग)

VI- जनरेटर 5 केवीए– 01(एक नग)

(7) कम्प्यूटर के वार्षिक अनुरक्षण हेतु संविदा की व्यवस्था की जायेगी जिसमें उपकरणों की लागत के 06 प्रतिशत की सीमा तक प्रति वर्ष व्यय अनुमन्य होगा।

(8) वार्षिक अनुरक्षण की यह व्यवस्था निःशुल्क वारंटी की अवधि के पश्चात प्रारम्भ होगी।

(9) उपकरणों के क्रय करने के पश्चात एक वर्ष की वारंटी(स्पेयर पार्टस सहित निःशुल्क अनुरक्षण) की प्रतिस्पर्धा अनिवार्य की जायेगी।

(10) कम्प्यूटर व अन्य उपकरणों पर होने वाला समस्त व्यय एनआरईजीए फण्ड से वहन किया जायेगा।

3– कृपया शासन के उक्त निर्णय/निर्देशों के अधीन कम्प्यूटर क्रय की कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करने एवं एनआरईजीए के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण का कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 839 (1)/38–7–2008–208 एनआरईजीए/08:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) संयुक्त सचिव(नरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

(3) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।